सॅख्या .....

प्रेषक,

संजीव सरन
अपर मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

1 समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।
2 समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–1 लखनऊः दिनॉकः .....

विषयः **''उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवॅ स्टार्ट–अप नीति–2017'' के बिन्दु 5.1.6 ''रिक्रूटमेन्ट सहायता'' के सम्बन्ध में**

महोदय,

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 1133/78–1–2017–25/2012 दिनॉक 14 दिसम्बर 2017 द्वारा ''उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवॅ स्टार्ट–अप नीति–2017'' जारी की गई है। यह नीति अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 05 वर्षों की अवधि के लिए मान्य है तथा ''उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवॅ स्टार्ट–अप नीति–2016'' को अवक्रमित करती है।

2 ''उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवॅ स्टार्ट–अप नीति–2017'' के प्रस्तर संख्या **5.1.6 ''रिक्रूटमेन्ट सहायता''** में निम्नवत् व्यवस्था की गई हैः–

**5.1.6 रिक्रूटमेंट सहायता**

- सोपान–2 (Tier-II) और सोपान–3 (Tier-III) नगरों में अवस्थित सूचना प्रौद्योगिकी/ सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र की इकाइयों को उत्तर प्रदेश स्थित महाविद्यालयों से न्यूनतम 50 नये सूचना प्रौद्योगिकी–बी.पी.एम. पेशेवरों की वार्षिक भरती हेतु रू 20,000 प्रति कर्मी की दर से (न्यूनतम 6 माह तक निरन्तर रोजगार की दशा में) रिक्रूटमेंट सहायता

3 उपरोक्त हेतु पात्र इकाइयों को रिक्रूटमेंट सहायता प्रदान किये जाने की कार्यवाही निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन की जायेगीः–

**3.1 <u>आच्छादन</u>**
सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

**3.2 परिभाषायें**
एतद्द्वारा संलग्न, **अनुलग्नक–स** के अनुसार

## 3.3 प्रोत्साहन का विवरण

3.3.1 सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं सम्बन्धी ऐसी इकाईयॉ जिनके द्वारा उत्तर प्रदेश स्थित महाविद्यालयों से न्यूनतम 50 नये सूचना प्रौद्योगिकी–बी.पी.एम. पेशेवरों की वार्षिक भरती की गई हो और जो निरन्तर 6 माह तक तक रोजगार में रहे हों के लिए रिक्रूटमेंट सहायता अनुमन्य होगी।

3.3.2 इस योजना का लाभ उन्हीं इकाइयों को अनुमन्य होगा जिन्होंने राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत इस प्रकार की किसी छूट या अनुदान का लाभ न लिया हो।

3.3.3 जिन इकाइयों को केस–टू–केस आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन स्वीकृत किया जायेगा, उन्हें रिक्रूटमेंट सहायता की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित शासनादेश के अनुसार अनुमन्य होगी।

## 3.4 प्रोत्साहन की स्वीकृति एवं उसके वितरण की प्रक्रिया

3.4.1 आवेदक इकाई द्वारा आवेदन पत्र कार्यदायी संस्था (यूपीएलसी) को **अनुलग्नक–अ** पर आवरण पत्र सहित, निर्धारित प्रारूप (**अनुलग्नक–ब**) पर प्रस्तुत किया जायेगा जिसका परीक्षण कार्यदायी संस्था (यूपीएलसी) द्वारा किया जायेगा। यह कार्यवाही यथा–सम्भव आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर पूर्ण कर ली जायेगी।

3.4.2 इकाई द्वारा उत्तर प्रदेश स्थित महाविद्यालयों से भरती किये गये नये सूचना प्रौद्योगिकी–बी.पी.एम. पेशेवरों कर्मियों का विवरण, सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रति सहित उपलब्ध कराना होगा।

3.4.3 इकाई द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों में दी गयी सूचना अपूर्ण होने की स्थिति में कार्यदायी संस्था (यूपीएलसी) द्वारा इकाई से स्थिति स्पष्ट करायी जा सकती है अथवा अतिरिक्त सूचनाओं/विवरण की मांग की जा सकती है। कार्यदायी संस्था (यूपीएलसी) द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण व अतिरिक्त अभिलेखों आदि को निर्धारित अवधि के अन्दर प्रस्तुत करना होगा।

3.4.4 इकाई द्वारा प्रस्तुत आवेदन के परीक्षण/सत्यापन के उपरान्त इकाई को रिक्रूटमेंट सहायता धनराशि अनुमन्य कराने के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली नीति कार्यान्वयन इकाई के विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत की जायेगी जिसके द्वारा उपयुक्त निर्णय लिया जायेगा।

3.4.5 सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त इकाई को रिक्रूटमेंट सहायता धनराशि अवमुक्त किए जाने विषयक नियमों एवॅ शर्तों से अवगत कराया जायेगा।

3.4.6 यह सहायता इकाई को प्रत्येक विगत वित्तीय वर्ष के लिए कर्मचारियों की भरती हेतु रिक्रूटमेंट सहायता के रूप में अनुमन्य होगी तथा रिक्रूटमेंट सहायता हेतु इकाई द्वारा आवश्यक दस्तावेजों सहित, 01 अप्रैल से 30 जून की अवधि में आवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा।

**3.5 न्यायालय का क्षेत्राधिकार**

किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में लखनऊ स्थित न्यायालयों में ही वाद दायर किया जा सकेगा।

**3.6 व्यय भार**

रिक्रूटमेंट सहायता धनराशि के भुगतान में आने वाले सभी व्यय जिसमें आवश्यकतानुसार विधिक विलेख निष्पादित करने में आने वाले व्यय, स्टैम्प शुल्क, व अन्य आनुसंगिक व्यय शामिल हैं, पात्र इकाई के द्वारा देय होगा।

**3.7 कर्मचारी रिक्रूटमेंट सहायता पर अनुदान निरस्तीकरण हेतु मानदण्ड**

इकाई द्वारा प्राप्त किये गये लाभों के उपरान्त यदि किसी समय यह पाया जाता है कि इकाई द्वारा दी गयी सूचनायें गलत हैं, अथवा तथ्यों को छुपाकर गलत आंकड़ों/अभिलेखों के आधार पर छूट/प्रतिपूर्ति प्राप्त की गयी है तो उपलब्ध करायी गई धनराशि 15 प्रतिशत ब्याज सहित वसूल की जायेगी तथा धनराशि वापस न करने पर यह धनराशि भू–राजस्व बकाये के रूप में वसूल की जायेगी, साथ ही इकाई के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।

4 उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवॅ स्टार्ट–अप नीति–2017 में निहित व्यवस्थानुसार, किसी भी इकाई को समस्त स्रोतों से अनुमन्य होने वाला वित्तीय प्रोत्साहन, उस इकाई के स्थिर पूॅजी निवेश के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

भवदीय,

संलग्नकः यथा उपरोक्त

(संजीव सरन)
अपर मुख्य सचिव

सॅख्या ...../तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन
2 कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन
3 अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0

4 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
5 प्रमुख सचिव, मा. मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन
6 अपर मुख्य सचिव, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
7 औद्योगिक विकास शाखा के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन
8 कार्यकारी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ
9 आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग उत्तर प्रदेश
10 निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ0प्र0 शासन
11 प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, यूपीडेस्को, अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0, श्रीट्रान इण्डिया लि0, लखनऊ

आज्ञा से,

(.....)
.....

**अनुलग्नक–अ**
**(सन्दर्भ प्रस्तर 3.4.1)**

**उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवॅ स्टार्ट–अप नीति–2017 के अन्तर्गत प्रोत्साहन के लिए आवरण–पत्र**
**(कम्पनी के लेटर पैड पर)**

---

सेवा में,

कार्यदायी संस्था (यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड)
आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

विषयः ''उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवॅ स्टार्ट–अप नीति–2017'' के बिन्दु 5.1.6 ''रिक्रूटमेंट सहायता'' के अन्तर्गत प्रोत्साहन की मॉग

महोदय,

उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवॅ स्टार्ट–अप नीति–2017 और तत्सम्बन्धी शासनादेशों के परीक्षणोंपरान्त हम, अधोहस्तक्षरी, एतद्द्वारा अपना आवेदन–पत्र (**अनुलग्नक–ब**) संलग्न करते हुए उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवॅ स्टार्ट–अप नीति–2017 में वर्णित प्रोत्साहन प्रदान किये जाने की मॉग करते हैं।

हम पुष्टि करते हैं कि विभाग को प्रस्तुत किये जा रहे अनुलग्नकों, वित्तीय प्रलेखों, घोषणाओं, प्रमाणन, प्रदर्शों एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ–साथ आवेदन–पत्र अथवा उसके किसी भाग में निहित सभी सूचनायें सत्य, सही एवं परिपूर्ण हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसमें निहित कथन किसी महत्वपूर्ण तथ्य के प्रति विभाग को पूर्णतः अथवा अंशतः भ्रमित नहीं करते, इस आवेदन में समस्त आवश्यक सूचनायें समाविष्ट हैं।

हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, इसके पूर्व दी गई सूचनायें और अन्य संलग्न पत्रादि सभी प्रकार से सत्य और सहीं हैं। हम वचनबद्ध हैं कि राज्य सरकार की अन्य किसी योजना के अन्तर्गत आवेदक द्वारा इस प्रकार के अन्तर्गत प्रोत्साहन की मांग न तो पहले की गई है और न ही प्राप्त किया गया है। हम पुनः यथा आवश्यकता, विवरणों को अभिलेखीय साक्ष्य द्वारा प्रमाणित करने का वचन देते हैं।

हम सहमत हैं कि हमारे आवेदन को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का आपके विवेकाधीन पूर्णाधिकार है।

हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि हमें अपने निगम/कम्पनी/फर्म/संगठन की ओर से कार्यवाही करने तथा इस दस्तावेज एवं ऐसे अन्य दस्तावेजों को, जोकि इस सम्बन्ध में आवश्यक हो, को हस्ताक्षरित करने का अधिकार है।

स्थानः
तिथिः

स्वामी/ साझेदार/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक के हस्ताक्षर
एवं मुहर

**अनुलग्नक–ब**
**(सन्दर्भ प्रस्तर 3.4.1)**

## आवदेन–पत्र

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **(1)** | **इकाई का विवरण** | | | | |
| a.) | नाम | | | | |
| b.) | प्रबन्ध निदेशक/ प्रबन्धन साझीदार/ स्वामी/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम एवं पदनाम | | | | |
| c.) | इकाई का पता | | | | |
| d.) | दूरभाष नं0 | | | | |
| e.) | सम्पर्क किये जाने वाले व्यक्ति का मोबाइल नॅ0 | | | | |
| f.) | फैक्स नॅ0 | | | | |
| g.) | ई–मेल | | | | |
| h.) | वेबसाइट | | | | |
| i.) | पंजीयन प्रमाण–पत्र संख्या | | | | |
| j.) | जी.एस.टी. पॅजीयन सं0 | | | | |
| k.) | परमानेन्ट एकाउण्ट सं0 (PAN) | | | | |
| **(2)** | **संगठन का संविधान** | स्वामित्व वाली | ☐ | साझेदारी | ☐ |
| | | प्राइवेट लिमिटेड | ☐ | सहकारी | ☐ |
| | | सार्वजनिक | ☐ | समिति | ☐ |
| **(3)** | **व्यवसाय प्रारम्भ की तिथि** | | | | |
| **(4)** | **इकाई द्वारा दावा की गई कर्मचारी रिक्रूटमेंट सहायता का विवरण** | | | | |
| | (क) नए भरती कर्मियों की संख्या | | | | |
| | (ख) दावा की गई रिक्रूटमेंट सहायता राशि | | | | |
| **(7)** | **आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले अभिलेख** | | | | |
| a.) | जिन कर्मियों के लिए रिक्रूटमेंट सहायता अनुदान की मॉग की जा रही है, उनके नियुक्ति पत्र | हॉ | ☐ | नहीं | ☐ |
| b.) | जिन कर्मियों के लिए रिक्रूटमेंट सहायता अनुदान की मॉग की जा रही है, उनके आधार कार्ड की प्रति | हॉ | ☐ | नहीं | ☐ |
| c.) | जिन कर्मियों के लिए रिक्रूटमेंट सहायता अनुदान की मॉग की जा रही है, उनके PAN CARD की प्रति | हॉ | ☐ | नहीं | ☐ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| d.) | जिन कर्मियों के लिए रिक्रूटमेंट सहायता अनुदान की मॉग की जा रही है, उनके कक्षा 10, कक्षा 12 तथा उत्तर प्रदेश स्थित महाविद्यालयों से प्राप्त उपाधि की की प्रति | हॉ | | नहीं | |
| e.) | जिन कर्मियों के लिए रिक्रूटमेंट सहायता अनुदान की मॉग की जा रही है, उनके एम्प्लाई कोड की प्रति | हॉ | | नहीं | |
| f.) | जिन कर्मियों के लिए रिक्रूटमेंट सहायता अनुदान की मॉग की जा रही है, उनके, अन्तिम वेतन–पर्ची की प्रति | हॉ | | नहीं | |

स्थान
तिथि

स्वामी / साझेदार / प्रबन्ध निदेशक / निदेशक के
हस्ताक्षर एवं मुहर

## जिन कर्मियों के लिए रिक्रूटमेंट सहायता अनुदान की मॉग की जा रही है, उनका विवरण

| क्रम सं. | कर्मचारी का नाम | इकाई में सेवायोजन की तिथि | इकाई से सेवा परित्याग की तिथि (यदि हो तो) | यूनीवर्सल खाता संख्या (यू0ए0एन0) | इकाई द्वारा कर्मचारी को प्रदत्त एम्पलाई कोड |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

स्थान
तिथि

स्वामी / साझेदार / प्रबन्ध निदेशक / निदेशक के
हस्ताक्षर एवं मुहर

**अनुलग्नक–स**

(सन्दर्भः शासनादेश सॅख्या ..... दिनॉक .....)

1 (अ) ''नई इकाई'' का तात्पर्य सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं से सम्बन्धित ऐसी पूर्ण स्वामित्व वाली प्रोपराइटरशिप फर्म्स, कम्पनियों, समितियों एवं साझेदारी वाली नई इकाइयों से है जिनके द्वारा शासनादेश जारी होने की तिथि से 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के भीतर व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ कर दिये गये हों।

(ब) ''एम.एस.एम.ई.(MSME) सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा उद्योग'' का तात्पर्य ऐसी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र इकाइयों से है जिनका वार्षिक व्यवसाय (Turn-over) रु 25 करोड़ तक हो।

2 ''कम्पनी'' से तात्पर्य सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा उद्योग से सम्बन्धित ऐसी कम्पनी से है, जिसका गठन कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत किया गया हो।

3 ''सोसायटी'' से तात्पर्य सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा उद्योग से सम्बन्धित ऐसी सोसायटी से है, जिसका गठन सोसायटीज अधिनियम 1860 के अन्तर्गत किया गया हो।

4 ''पार्टनरशिप'' से तात्पर्य ऐसी साझेदारी फर्म से है जिसका गठन भारतीय साझेदारी अधिनियम–1932 के अन्तर्गत किया गया हो।

5 ''वित्तीय संस्थान'' से तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित समस्त बैंकों तथा ऐसे सभी वित्तीय संस्थानों से है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित हैं और जिनका नियमन उसके द्वारा किया जाता है।

6 ''ऋण वितरण की तिथि'' का तात्पर्य उस तिथि से है जिस तिथि से किसी वित्तीय संस्था द्वारा पात्र इकाई को सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/ सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा उद्योग से सम्बन्धित कार्यों हेतु ऋण धनराशि की प्रथम किश्त उपलब्ध करा दी गयी हो।

7 ''वर्ष का तात्पर्य दिनॉक 01 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि से है।

8 ''स्थिर पूॅजी निवेश'' का तात्पर्य भूमि, भवन, प्लान्ट, मशीनरी तथा पूॅजीगत परिसम्पत्तियों में किये गये ऐसे निवेश से है जिसके माध्यम से निर्मित सामग्री/सेवा की बिक्री/अतिरिक्त बिक्री की प्रथम तिथि शासनादेश के निर्गत होने की तिथि को या उसके बाद पड़ती हो।

9 ''व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ की तिथि'' का तात्पर्य चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट से प्रमाणित, नये स्थायी पूॅजी निवेश के माध्यम से निर्मित वस्तुओं एवं सेवाओं (Goods and Services) की बिक्री की प्रथम तिथि से है।

10 ''**सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग**'' के अन्तर्गत सम्मिलित हैं सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर, सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित इकाइयॉ/ कम्पनियॉ इत्यादि। सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों/ कम्पनियों में सम्मिलित है सू0प्रौ0 एप्लीकेशेन्स (IT applications), सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी सेवायें। सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं से अभिप्राय है बी0पी0ओ0/ के0पी0ओ0/ परामर्शी (consulting)/'एनीमेशन (animation)', 'गेमिंग (gaming)' तथा अन्य ज्ञान उद्योग (knowledge industry)।

11 **सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के अन्तर्गत सन्निहित है, किन्तु यहीं तक सीमित नहीं** :–

- एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (Application Software)
- आपरेटिंग सिस्टम – Operating System
- मिडिलवेयर / फर्मवेयर (Middleware/ Firmware)
- उक्त सॉफ्टवेयर में किसी भी अवयव (component) का विकास
- इन सॉफ्टवेयर की डिजाइन एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करना

- प्रणाली का एकीकरण (System Integration)/सॉफ्टवेयर हेतु अवयव (component)
- सॉफ्टवेयर में कोई स्थानीय (Localization) एवॅ Supply Chain Management कार्य
- विस्तार विकास (Extension Development) (मुख्य सॉफ्टवेयर के बाहर के मॉड्यूल्स)

12 **सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं'** का आशय उन सेवाओं से है जो किसी सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद में सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसका मूल्य संवर्द्धन करती है।

**सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं में निहित हैः–**

- इन्टरनेट सर्विस प्रोवाइडर
- ई–मेल सर्विस प्रोवाइडर
- विश्वव्यापी वेब (World wide web) सर्विस प्रोवाइडर
- ई–कामर्स तथा कन्टेन्ट डेवलपमेन्ट
- इलेक्ट्रानिक डाटा इन्टरचेन्ज (EDI) सेवायें
- वीडियो कान्फ्रेंसिंग
- वी–सैट – आई.एस.डी.एन सेवायें
- इलेक्ट्रानिक डाटा सेन्टर कार्यकलाप

13 **सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं** में वे सभी प्रक्रियायें एवं सेवायें सन्निहित हैं जो व्यापक व्यापारिक वर्ग को, टेलीकाम संचार तंत्र अथवा इन्टरनेट के माध्यम से प्राप्त होती हैं जैसे मेडिकल ट्रॉसक्रिप्शन, लीगल डेटा बेस प्रोसेसिंग, सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, आईपीआर सर्विसेज, डिजिटल कन्टेन्ट डेवलपमेन्ट/ एनीमेशन, रिमोट मेन्टीनेन्स, बैक–आफिस आपरेशन्स – लेखा एवं वित्तीय सेवायें, इलेक्ट्रानिक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परामर्श, बॉयो इन्फार्मैटिक्स, डेटा प्रोसेसिंग तथा काल–सेन्टर आदि।

**सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं में सन्निहित किन्तु यहीं तक सीमित नहींः–**

- बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेण्ट (BPM)
- ग्राहकों की प्रतिक्रिया से सम्बन्धित सेवायें (Customer Interaction Services) जैसे वार्तालाप/सम्पर्क केन्द्र (Call/Contact Centres) तथा ई–मेल, हेल्प–डेस्क
- इन्जीनियरिंग एवं डिजाइन
- बैक आफिस प्रोसेसिंग
- वित्त एवं लेखा (रिमोट द्वारां)
- बीमा दावों को निपटाने की प्रक्रिया – इंश्योरेन्स क्लेम प्रोसेसिंग (रिमोट द्वारा)
- मानव संसाधन सेवायें (रिमोट द्वारा)
- वेबसाइट विकास एवं अनुरक्षण सेवायें (Website development & maintenance services)
- डेटा सर्च, इन्टीग्रेशन एण्ड एनालिसिस (Data Search, Integration & Analysis) तथा नेटवर्क परामर्श एवं प्रबन्धन (Network consulting and Managment)
- दूरस्थ शिक्षा (Remote Education)
- एनीमेशन – (रिमोट द्वारा)
- गेमिंग
- मार्केट रिसर्च (रिमोट द्वारा)

- अनुवाद (Translation), नकलनवीसी (Transcription) तथा स्थानीयकरण (Localization) (रिमोट द्वारा)
- परामर्श (रिमोट द्वारा) सम्बन्धित विषयः–
  - सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर
  - ई0आर0पी0 (Enterprise Resource Planning) जैसे SAP, ORACLE इत्यादि
  - सी0आर0एम0 – ग्राहक सम्पर्क प्रबन्धन (Customer Relationship Management)
  - एम0आर0एम0 – (Marekting Resources Management)
  - तकनीकी सहायता (Technical Support)
  - बिजनेस सिस्टम्स एण्ड प्रोसेसेज (Business Systems & Processes)
- डेटा प्रोसेसिंग
- सिस्टम इन्टीग्रेशन एण्ड कस्टमाइजेशन
- सिस्टम अपग्रेडेशन सर्विसेज
- डिजाइनिंग एवं डिजाइनिंग सिस्टम्स
- काल सेन्टर्स
  - वायस – इनबाउण्ड तथा आउटबाउण्ड – दोनों
  - डेटा – इनबाउण्ड तथा आउटबाउण्ड – दोनों
- सॉफ्टवेयर एक्सटेन्शन डेवलपमेण्ट
- आईटी फेसिलिटीज मैनेजमेण्ट (रिमोट व्यवस्था सहित)
- '**रिमोट द्वारा**' का तात्पर्य इन्टरनेट/दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से दूरस्थ स्थान पर सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं की उपलब्धता से है।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य सूचना प्रौद्योगिकी सेवायें जो उपर्युक्त में सम्मिलित नही हैं, भी सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं में सम्मिलित की जा सकेंगी।

14 ''व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ की तिथि'' का तात्पर्य चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट से प्रमाणित, नये स्थायी पूँजी निवेश के माध्यम से निर्मित वस्तुओं एवं सेवाओं (Goods and Services) की बिक्री की प्रथम तिथि से है।

15 ''जमा की गई जी.एस.टी.'' एवं ''जी.एस.टी.'' का तात्पर्य सम्बन्धित इकाई द्वारा यथास्थिति, किसी त्रैमास अथवा वित्तीय वर्ष में जमा किए गये नेट एस.जी.एस.टी. की राशि से है।

16 ''नोडल एजेन्सी'' का तात्पर्य शासन द्वारा शासनादेश के माध्यम से ''उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवॅ स्टार्ट–अप नीति–2017'' के अन्तर्गत नामित नोडल एजेन्सी से है।

17 नीति कार्यान्वयन इकाई (पी0आई0यू0) का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवॅ स्टार्ट–अप नीति–2017 के प्रस्तर 7 में पारिभाषित नीति कार्यान्वयन इकाई से है।

18 **आवरण पत्र** : ''आवरण पत्र'' का तात्पर्य इस शासनादेश के साथ **अनुलग्नक 'अ'** पर उपलब्ध प्रारूप पर लिखे गये आवरण–पत्र से है।

19 **आच्छादन** : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

20 **न्यायालय का क्षेत्राधिकार** : किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में लखनऊ स्थित न्यायालयों में ही वाद दायर किया जा सकेगा।

**अनुलग्नक–द**

## वचन–पत्र

मैं .....(नाम) आयु लगभग ... वर्ष पुत्र श्री ..... निवासी ..... – अधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा निम्नवत् कथन करता हूँ:–

1 यह कि अधोहस्ताक्षरी सर्वश्री ..... (नाम) जिसका पॅजीकृत कार्यालय .....(पता) एवॅ फैक्ट्री ..... .....(पता) पर है, का स्वामी/साझेदार/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक * है।

2 यह कि सर्वश्री ..... द्वारा उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवॅ स्टार्ट–अप नीति–2017 में विहित व्यवस्थानुसार, कर्मचारी रिक्रूटमेंट सहायता की प्राप्ति हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

3 यह कि भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय की परिभाषा के अन्तर्गत आवेदक फर्म/ कम्पनी/ प्रतिष्ठान* – सर्वश्री ..... एक पूरक/ सूक्ष्म/लघु* उद्यम है तथा कर्मचारी रिक्रूटमेंट सहायता हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय कार्यरत/ उत्पादनरत* थी तथा फर्म/कम्पनी/ प्रतिष्ठान* निरन्तर कार्यरत/ उत्पादनरत* रही है।

4 यह कि आवेदक फर्म/कम्पनी/प्रतिष्ठान* द्वारा केन्द्र सरकार/प्रदेश सरकार/ वित्तीय संस्थान आदि* की किसी भी योजना के अन्तर्गत कर्मचारी रिक्रूटमेंट सहायता* प्राप्त नहीं की गई है।

5 यह कि अधोहस्ताक्षरी स्वयं तथा आवेदक फर्म/कम्पनी/प्रतिष्ठान* की ओर से वचन देता है कि उपरोक्त उद्घोषणा गलत अथवा असत्य अथवा भ्रामक पाये जाने की स्थिति में उपरोक्त उल्लिखित कार्यकलाप के लिए प्राप्त की गई पूर्ण धनराशि का भुगतान लिखित मॉग किये जाने से सात दिनों के अन्दर कर देगा एवं ऐसा कर पाने में असफल रहने पर शासन को अधिकार होगा कि वह प्रोत्साहन राशि की वसूली 15 प्रतिशत ब्याज सहित भू–राजस्व की भॉति कर ले।

स्थान
तिथि

स्वामी/साझेदार/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक के हस्ताक्षर एवं मुहर

टिप्पणी * जो लागू न हो उसे काट दें।